"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2006—फाल्गुन 26, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 9-21/05/1-8.—श्री जितेन्द्र कुमार (भा. व. से. 1986) वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर की सेवाएं वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से. (सीजी : 1978), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल एवं प्रमुख सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम को उनके कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री टी. राधाकृष्णन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री प्रदीप पंत, भा. व. से., आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के प्रभार से मुक्त होंगे. श्री प्रदीप पंत, भा.व.से. की पदस्थापना वन विभाग द्वारा नियमानुसार की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-6/2005/1-8.—श्रीमती बिबयाना तिर्की, अनुभाग अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10000-325-15200 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

2. श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (पूल) को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है.

3. श्री आर. एन. जोशी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, राजस्व एवं पुनर्वास तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक अपूर्ति विभाग के अतिरिक्त प्रभार से भारमुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. श्री जोशी के पास राजस्व एवं पुनर्वास का प्रभार यथावत् रहेगा.

4. श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा एवं जनसंपर्क विभाग को आगामी आदेश तक अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार से भारमुक्त किया जाता है. अवर सचिव, ऊर्जा का प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-3-2006 से 24-3-2006 तक (23 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2006

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 13-3-2006 से 17-3-2006 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12, 18 एवं 19 मार्च, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से., आगामी आदेश तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक 200/92/2006/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, स्टाफ आफिसर, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल को दिनांक 27-2-2006 से 4-3-2006 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-2-2006 एवं 5-3-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को स्टाफ आफिसर, उपाध्यक्ष राज्य योजना मंडल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार, अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, उपाध्यक्ष राज्य योजना मंडल के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

क्रमांक 216/127/2006/1-8/स्था.—श्री बालकृष्ण शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 20-2-2006 से 25-2-2006 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19 एवं 26-2-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2006

क्रमांक 218/1025/2005/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश दिनांक 21-12-2005 द्वारा श्री जे. मिंज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 24-12-2005 से 31-12-2005 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

2. श्री मिंज द्वारा उक्त स्वीकृत अवकाश में से दिनांक 29, 30 एवं 31-12-2005 (3 दिवस) का अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक-एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-64/32/05, दिनांक 12-12-2005 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना की सारिणी क्रमांक-15.4 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	आवासीय	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
2.	02	वाणिज्यिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल
3.	07	कृषि	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक एफ-20-95/04/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2004 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार "राज्य स्तरीय उद्योग सलाहकार बोर्ड" का गठन निम्नानुसार करता है :—

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
2. श्री राजेश मूणत, भारसाधक मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	उपाध्यक्ष
3. श्री अमर अग्रवाल, भारसाधक मंत्री, वित्त विभाग	-	सदस्य
4. प्रभारी सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
5. प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	-	संयोजक
6. श्री नवीन जिंदल (चेयरमेन जिंदल स्टील एण्ड पावर लि.)	-	सदस्य
7. श्री संदीप जाजोदिया, वाइस चेयरमेन मोनेट इस्पात लि. रायपुर	-	सदस्य
8. श्री कमल सारडा, चेयरमेन रायपुर एलायज एण्ड स्टील लिमिटेड, रायपुर.	-	सदस्य
9. श्री हरीश केडिया, अध्यक्ष, छ.ग. लघु एवं सहायक उद्योग संघ बिलासपुर.	-	सदस्य
10. श्री वीनू जैन, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, बी.ई.सी. लिमिटेड, भिलाई	-	सदस्य
11. अध्यक्ष, सीमेंट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन, छ.ग.	-	सदस्य
12. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ	-	सदस्य
13. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	-	सदस्य
14. अध्यक्ष, उरला, सिलतरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर	-	सदस्य
15. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ ब्रांच, रायपुर	-	सदस्य
16. कुलपति, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	-	सदस्य
17. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	-	सदस्य
18. अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, छ.ग.	-	सदस्य
19. अध्यक्ष, इन्टक छत्तीसगढ़	-	सदस्य
20. श्री अरविन्द नेताम, कांकेर	-	सदस्य

2. बिन्दु क्रमांक 6 से 20 तक के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा.

3. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 11-1/2006/13-1.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य में अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला-कोरिया, जिला दन्तेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले के पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन करने हेतु लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार राज्य में अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (जिला-कोरिया, जिला-दन्तेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले के पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) में स्थापित होने वाले नए उद्योगों को व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक /एफ-15-24/2005/25-2/आजाक रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

विशेष शिक्षण केन्द्र योजना नियम-2005

1. **संक्षिप्त नाम :—**
यह नियम अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिये विशेष शिक्षण केन्द्र योजना नियम-2005 कहलायेगा.

2. **उद्देश्य :—**
दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास, आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं. फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रावीण्यता बढ़ाना है, जिससे इस वर्ग छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें.

3. **कार्य क्षेत्र :—**
इस योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा.

4. लक्ष्य समूह :—

विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर के आश्रमों एवं समस्त छात्रावासों में प्रवेशित कक्षा 8वीं से 12वीं तक के समस्त विद्यार्थी तथा किसी शासकीय मान्यता शाला के दिवा छात्र (डे स्कालर) लाभान्वित हो सकेंगे.

5. विशेष शिक्षण केन्द्र का चयन :—

यह विशेष शिक्षण केन्द्र सभी 146 विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर स्थित बालक या बालिका छात्रावास या स्कूल जहां भी पर्याप्त स्थान हो विकासखण्ड स्तर पर चयन कर किया जावेगा. विकासखण्ड मुख्यालय के अतिरिक्त भी आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान के छात्रावासी बच्चों के सुविधा के लिये विशेष शिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जा सकती है. विकासखंड में शिक्षण केन्द्र कहां-कहां प्रारंभ किया जाना है यह पहले से तय कर कार्य योजना बना ली जाय. शिक्षण केन्द्र हेतु स्थलों का चयन करते समय चयनित स्थानों पर कमरों की उपलब्धता, छात्रों की उपलब्धता एवं शिक्षकों की उपलब्धता का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाय.

6. विशेष शिक्षण केन्द्र में छात्रों के प्रवेश हेतु पात्रता :—

सामान्यत: वे सभी छात्र जो विभाग के छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित रहकर कक्षा 6 से 12वीं में अध्ययनरत हैं शिक्षण में प्रवेश हेतु पात्र है. शिक्षण केन्द्र में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्र विशेष कोचिंग केन्द्र के लाभ से वंचित हो जाएंगे.

7. विशेष शिक्षण केन्द्र में छात्रों की संख्या :—

1. विशेष शिक्षण केन्द्र में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था होगी. सामान्यत: 25 विद्यार्थियों पर एक कक्षा का संचालन होगा. विकासखण्ड स्तर पर स्थित आश्रमों एवं छात्रावासों से निर्धारित छात्र संख्या की पूर्ति न होने पर स्थानीय स्कूल में अध्ययनरत गरीब अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्र (डे स्कालर) एवं आस-पास के आश्रमों/छात्रावासों से यह संख्या पूरी की जाएगी.

2. कक्षा 11वीं एवं 12वीं में संकायवार विद्यार्थियों का विभाजन होने से गणित, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कम होने के कारण 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा नहीं भी बन सकती है ऐसी स्थिति किसी भी एक संकाय में एक कक्षा हेतु कम से कम 10 छात्रों का होना आवश्यक है इससे कम छात्र संख्या होने पर आयुक्त आदिमजाति, अनु. जाति विकास को प्रस्ताव भेजकर अनुमति प्राप्त करनी होगी.

8. शिक्षकों की व्यवस्था का मापदण्ड :—

विशेष शिक्षण केन्द्र हेतु अध्यापकों/शिक्षकों की व्यवस्था विकासखण्ड स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा. समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ परियोजना प्रशासक, एकी. आदि. विकास परि. - अध्यक्ष
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी - सदस्य
3. प्राचार्य, बालक उ. मा. विद्यालय - सदस्य
4. प्राचार्या कन्या उ. मा. विद्यालय - सदस्य

विशेष शिक्षण हेतु शिक्षकों के चयन करते समय प्रशिक्षक के उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता, चरित्र, निष्ठा, लगन, अनुभवों को ध्यान में रखा जाये.

यथासंभव प्रशिक्षक शासकीय स्कूल के शिक्षक हों. प्रशिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक/योग्य शिक्षित अनुभवी बेरोजगार युवक/युवती भी हो सकते हैं. आशय यह है कि उत्कृष्ट प्रशिक्षक का चयन हो. प्रत्येक वर्ग के प्रशिक्षकों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जावे जिससे विशेष परिस्थितियां अर्थात् प्रथम प्रशिक्षक की अनुपस्थिति या प्रशिक्षक के अध्यापन कौशल के बारे में छात्रों द्वारा अच्छा फीड बैक

न मिलने पर प्रतीक्षा सूची के अन्य पात्र शिक्षक को अध्यापन हेतु रखा जा सके. चयनित प्रशिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा. इस योजना अंतर्गत लगाये गये शिक्षकों को किसी भी प्रकार से शासकीय नौकरी हेतु अधिकृत नहीं होंगे न ही वे भविष्य में किसी प्रकार के नौकरी देने हेतु मांग करेंगे. इस बाबत गैर शासकीय प्रशिक्षकों से एक वचन पत्र भी लिया जाय. यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई एवं अंशकालिक आधार पर काम के बदले शुल्क/पारिश्रमिक से है. प्रशिक्षकों को चयन को लचीला इसलिये बनाया गया है कि योग्य प्रशिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके. यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश/प्रारूप आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे.

9. **प्रशिक्षकों का पारिश्रमिक शुल्क :—**

1. चयनित प्रशिक्षकों को निम्नानुसार प्रति कालखंड के मान से भुगतान किया जायेगा.
   1. कक्षा 8 से 10 तक (हाईस्कूल) अध्यापन हेतु-75.00 रुपये प्रति घंटा
   2. कक्षा 11 से 12 (हा. से.) तक अध्यापन हेतु-100.00 रुपये प्रति घंटा

2. एक कालखंड एक घंटे का होगा.

3. एक प्रशिक्षक को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक शुल्क माध्यमिक एवं हाईस्कूल कक्षा शिक्षण हेतु रु. 1500.00 एवं हायर सेकेण्ड्री कक्षा शिक्षण हेतु रु. 2000.00 से अधिक भुगतान नहीं होगा.

4. विशेष शिक्षण हेतु प्रतिमाह अधिकतम 25 कार्य दिवस होंगे. प्रशिक्षक को माह में कम से कम 20 कालखंड अध्यापन करना अनिवार्य होगा.

5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानदेय का भुगतान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/परियोजना प्रशासक के अनुमोदन पश्चात् प्रशिक्षकों को किया जावेगा.

10. **विशेष शिक्षण का अवधि एवं समय :—**

विशेष शिक्षण की अवधि अधिकतम 3 माह की होगी. सभी कक्षाओं को मिलाकर प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे की कक्षा होगी. विशेष शिक्षण की कक्षायें शाला समय के अतिरिक्त समय में संचालित होगी. प्राय: यह अवधि प्रात: 8 से 10 तथा सायंकाल 7.30 से 9.30 तक हो सकती है. शाला लगने के टाईम टेबल एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर समिति समय में परिवर्तन कर सकेगी.

11. **विशेष शिक्षण की शिक्षण विधि :—**

विशेष शिक्षण हेतु प्रवेशित एवं पंजीकृत समस्त छात्रों का एक सामान्य जांच द्वारा औसत से कम, औसत एवं उच्च स्तर में वर्गीकरण कर एक पंजी में छात्रवार विवरण दर्ज करना होगा. वर्गीकरण अनुसार विद्यार्थी को निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण जो आवश्यक हो दिया जाकर उसके स्तर में वृद्धि किये जाने का अधिकतम प्रयास किया जायेगा. प्रशिक्षक सभी छात्रों का मासिक मूल्यांकन भी करेंगे. मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों/ग्रेड को पंजी में दर्ज किया जायेगा. प्रशिक्षक उसके प्रगति का विश्लेषण कर छात्र के प्रगति हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे. मूल्यांकन की कापियों को सुरक्षित रखा जावेगा. प्रशिक्षक मूल्यांकन करते समय छात्रों के कापी पर ही उत्तर लिखने के तरीके पर मार्गदर्शन देंगे.

विज्ञान विषयों में प्रेक्टिकल के लिये स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान प्रयोगशाला के प्रयोग की व्यवस्था स्थानीय प्राचार्य की अनुमति से की जावेगी.

12. **विशेष शिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था :—**

विशेष कोचिंग केन्द्रों के संचालन का पूर्ण दायित्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी का होगा. विशेष शिक्षण केन्द्र ऐसे स्थान छात्रावास/स्कूल में संचालित किया जायेगा जहां पर विद्यार्थी सुविधापूर्वक बैठ सकें एवं विद्युत रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो. विशेष शिक्षण केन्द्र की आवश्यक व्यवस्था ठीक रखने का दायित्व स्थानीय अधीक्षक का होगा. अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि छात्र नियमित रूप से शिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों. प्रशिक्षक आएं, कक्ष में चाक, डस्टर, पानी, स्टेशनरी आदि अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे.

13. **विशेष शिक्षण केन्द्रों की मानीटरिंग :—**

1. स्थानीय शाला के प्राचार्य एवं प्रधान पाठक अधीक्षक के साथ प्रतिदिन विशेष शिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण/मानीटरिंग करेंगे. वे संबंधित प्रशिक्षकों के डायरी का निरीक्षण करेंगे एवं टीप दर्ज करेंगे.

2. विकासखंड शिक्षा अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार शिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण पंजी पर टीप दर्ज करेंगे.

3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास माह में कम से कम एक बार शिक्षण केन्द्रों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे एवं आवश्यक टीप दर्ज करेंगे.

4. प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख के मध्य अनुविभागीय अधिकारी/परियोजना प्रशासक की अध्यक्षता वाली समिति शिक्षण केन्द्रों के संचालन, उनमें अध्ययनरत बच्चों की प्रगति, व्यवस्था में सुधार, प्रशिक्षकवार उपलब्धि, प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान आदि पर समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी.

5. आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग प्रतिमाह सहायक आयुक्तों से योजना की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी लेकर समीक्षा करेंगे.

14. अभिलेखों का संधारण :—

विशेष शिक्षण व्यवस्था के परिणामों पर नजर रखने के लिये स्थायी अभिलेख अलग से संधारित किया जाना आवश्यक होगा ताकि विशेष शिक्षण व्यवस्था का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके. इस अभिलेख में शिक्षकों की डायरी, मूल्यांकन कापी, समिति की बैठक एवं समीक्षा की पंजी, निरीक्षण पंजी, छात्र पंजी, परीक्षा परिणाम आदि का समावेश होगा. ये सभी अभिलेख छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास के निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त संधारित किया जायेगा.

15. बाह्य विशेषज्ञों का चयन :—

छात्र/छात्राओं को चयनित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के अतिरिक्त प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार बाह्य विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा.

1. परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के अधिकारी.
2. नवनियुक्त राज्य सिविल सेवा के अधिकारी.
3. निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य/व्याख्याता
4. निकटवर्ती नवोदय विद्यालय के प्राचार्य/व्याख्याता
5. डाइट के प्राचार्य/व्याख्याता
6. स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक

16. योजना में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार :—

इस योजना में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13,500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न सूची में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वास्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडर टेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) चयनित अभ्यार्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राव, अवर सचिव.

नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना सूची

सरल क्रमांक	लो. से. आ. की प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित चिकित्सक का नाम	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2	डॉ. विकास वर्मा	सामु. स्वा. केन्द्र बिलाईगढ़ जिला रायपुर
2.	5	डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता	प्रा. स्वा. केन्द्र कमलपुर जिला अम्बिकापुर
3.	6	डॉ. चंद्रमोहन सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र विजय नगर जिला रायगढ़
4.	9	डॉ. ओम प्रकाश राज	प्रा. स्वा. केन्द्र बेलगहना जिला बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	10	डॉ. नरेन्द्र प्रसाद नरसिंग	प्रा. स्वा. केन्द्र चन्दखुरी जिला रायपुर
6.	11	डॉ. पंकज किशोर	सामु. स्वा. केन्द्र मांढर जिला- रायपुर
7.	13	डॉ. गौरव क्लाडियस	प्रा. स्वा. केन्द्र सांकरा जिला दुर्ग
8.	15	डॉ. भगत राम बघेल	आर. एन. टी. अस्पताल कोंडागांव, जिला - जगदलपुर.
9.	17	डॉ. नितिन शर्मा	सा. स्वा. केन्द्र सिमगा जिला रायपुर
10.	18	डॉ. सत्येन्द्र कुमार चन्द्रा	जिला चिकित्सालय कोरबा जिला-कोरबा
11.	19	डॉ. देवेश कुमार प्रधान	प्रा. स्वा. केन्द्र जरहागांव जिला- बिलासपुर
12.	20	डॉ. चतुर्भुज मिश्रा	प्रा. स्वा. केन्द्र, केंडा जिला- बिलासपुर.
13.	21	डॉ. आषीश कुमार शर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र चंदनू जिला-दुर्ग
14.	24	डॉ. खिमेन्द्र कुमार रामटेके	प्रा. स्वा. केन्द्र गांगलूर जिला दन्तेवाड़ा
15.	25	डॉ. सूर्यप्रकाश साहू	जिला चिकित्सालय कवर्धा, जिला कवर्धा
16.	27	डॉ. संजीव तिवारी	जिला चिकित्सालय कवर्धा जिला कवर्धा
17.	29	डॉ. प्रेमलाल मंडावी	प्रा. स्वा. केन्द्र बड़े राजपुर जिला जगदलपुर
18.	30	डॉ. रामसेवक	प्रा. स्वा. केन्द्र डूमरखोला जिला सरगुजा
19.	31	डॉ. धरमवीर सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र पामेड़ जिला-दंतेवाड़ा
20.	32	डॉ. निखिल तंबोली	जिला चिकि. महासमुन्द जिला महासमुन्द
21.	33	डॉ. धीरज कुमार गुप्ता	जिला चिकित्सालय कवर्धा जिला कवर्धा
22.	36	डॉ. जय कुमार तिवारी	सामु. स्वा. केन्द्र छुरिया जिला राजनांदगांव
23.	38	डॉ. पंकज मिश्रा	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा
24.	39	डॉ. अविनाश सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र पोंड़ी जिला बिलासपुर
25.	40	डॉ. रूद्रपाल सिंह कंवर	जिला चिकित्सालय जशपुर जिला जशपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	41	डॉ. सेतराम पैंकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र टेंगानवापारा जिला रायगढ़
27.	42	डॉ. नीरज कुमार	सामु. स्वा. केन्द्र बीजापुर जिला दंतेवाड़ा
28.	45	डॉ. अनिल कुमार जगत	प्रा. स्वा. केन्द्र फरगुम जिला जांजगीर
29.	50	डॉ. राजेश टेंभुर्णीकर	प्रा. स्वा. केन्द्र सीपत जिला बिलासपुर
30.	52	डॉ. भोजराज मोहनानी	जिला चिकित्सालय जशपुर, जिला जशपुर
31.	53	डॉ. कुंतलकुमार गजभिये	प्रा. स्वा. केन्द्र अलनार जिला जगदलपुर
32.	54	डॉ. ललुआ प्रसाद मरावी	प्रा. स्वा. केन्द्र लूण्ड्रा जिला सरगुजा
33.	55	डॉ. गौतम सिंह पैकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र, पस्ता जिला सरगुजा
34.	56	डॉ. आशीष कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र बिरकोनी जिला महासमुंद
35.	58	डॉ. प्रभात चन्द्र प्रभाकर	जिला चिकित्सालय कवर्धा जिला कवर्धा
36.	60	डॉ. अमितेश कुमार चतुर्वेदी	सिविल अस्पताल पेण्ड्रारोड टी. बी. सेनेटोरियम जिला बिलासपुर.
37.	62	डॉ. अजय शंकर कन्नौजे	प्रा. स्वा. केन्द्र रेवासिंह, जिला रायपुर
38.	63	डॉ. मुमताज अली	जिला चिकित्सालय, धमतरी जिला-धमतरी
39.	64	डॉ. शैलेंद्र कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र मडहेड जिला दंतेवाड़ा
40.	65	डॉ. संतोष कुमार मोदी	सामु. स्वा. केन्द्र मानपुर जिला राजनांदगांव
41.	66	डॉ. अशोक कुमार वर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र सोनाखान जिला रायपुर
42.	67	डॉ. तेज गोपाल	प्रा. स्वा. बगुरसिया जिला रायगढ़
43.	68	डॉ. प्रणव चन्द्रकांत अंधारे	सामु. स्वा. केन्द्र बिल्हा जिला बिलासपुर
44.	69	डॉ. ओमप्रकाश सुंदरानी	प्रा. स्वा. किलेपाल जिला जगदलपुर
45.	71	डॉ. अविनाश कुमार जांगड़े	प्रा. स्वा. केन्द्र रसेला जिला रायपुर
46.	72	डॉ. दिनेश सिन्हा	प्रा. स्वा. केन्द्र पिरदा जिला महासमुन्द

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	75	डॉ. योगेश्वर सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र मुगडेगा, जिला रायगढ़
48.	76	डॉ. कान्ताराम वैद्य	सा. स्वा. केन्द्र, ओरछा जिला जगदलपुर
49.	79	डॉ. तुकाराम कुंवर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंडागांव, जिला-बस्तर.
50.	81	डॉ. महावीर सिंह जौहरी	सामु. स्वा. केन्द्र अभनपुर जिला-रायपुर
51.	83	डॉ. प्रवीण कुमार जैन	प्रा. स्वा. केन्द्र, शामपुर, बस्तर
52.	84	डॉ. राजकुमार गुप्ता	प्रा. स्वा. केन्द्र लमडांढ़ जिला रायगढ़
53.	85	डॉ. आशुतोष कुमार शर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र कया जिला रायगढ़
54.	86	डॉ. तरूण कुमार ध्रुव	प्रा. स्वा. केन्द्र सांकरा जिला धमतरी
55.	87	डॉ. अनिल कुमार भगत	प्रा. स्वा. केन्द्र बहिरकेला जिला रायगढ़
56.	88	डॉ. अभिषेक लॉज	प्रा. स्वा. खैरवारखुर्द जिला बिलासपुर
57.	89	डॉ. प्रज्वल सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र फुटकापुरी जिला रायगढ़
58.	90	डॉ. गयेन्द्र दीवान	प्रा. स्वा. केन्द्र सिरसिंगा जिला रायगढ़
59.	91	डॉ. विजय शांडिल्य	प्रा. स्वा. केन्द्र सिहावा जिला धमतरी
60.	96	डॉ. पियम सिंह	सा. स्वा. केन्द्र मनोरा जशपुर
61.	97	डॉ. नारायण देव साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र सिलयारी जिला रायपुर
62.	98	डॉ. नरेन्द्र कुमार ठाकुर	प्रा. स्वा. केंद्र उरमाल जिला रायपुर
63.	99	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	जिला चिकित्सालय जशपुर जिला जशपुर
64.	104	डॉ. रवि द्विवेदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वाड्रफनगर, जिला-सरगुजा.
65.	105	डॉ. रमन कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र तरलागुड़ा जिला दंतेवाड़ा
66.	106	डॉ. अजय कुमार हलवाई	प्रा. स्वा. केन्द्र पोटाली जिला दंतेवाड़ा
67	107	डॉ. हेमलाल मीनपाल	प्रा. स्वा. केन्द्र पाण्डुका जिला रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
68.	108	डॉ. विवेक पाण्डेय	प्रा. स्वा. केन्द्र गोगुंडा जिला दंतेवाड़ा
69.	113	डॉ. गजराज सिंह सिदार	प्रा. स्वा. केन्द्र जगागुंडा जिला दंतेवाड़ा
70.	115	डॉ. खिलेश्वर सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र बड़े तमनार जिला दंतेवाड़ा
71.	116	डॉ. नरेन्द्र प्रताप सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र सोनगरा जिला सरगुजा
72.	117	डॉ. अजय कोसम	प्रा. स्वा. केन्द्र पोंडम जिला दंतेवाड़ा
73.	118	डॉ. संतोष कुमार सोनकर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छिंदगढ़ जिला दंतेवाड़ा.
74.	119	डॉ. अजय कुमार गुप्ता	प्रा. स्वा. केन्द्र आमांबेड़ा जिला कांकेर
75.	120	डॉ. कमलेश कुमार ध्रुव	सामु. स्वा. केन्द्र बीजापुर जिला दंतेवाड़ा
76.	121	डॉ. अनिल कुमार	प्रा. स्वा. केंद्र भानमेड़ा जिला कांकेर
77.	122	डॉ. मनीष देवांगन	प्रा. स्वा. केन्द्र चालहा जिला रायगढ़
78.	124	डॉ. अमित अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र केराकछार जिला कोरबा
79.	125	डॉ. भेवन लाल मरकाम	प्रा. स्वा. केन्द्र रेंगाखार जिला कवर्धा
80.	126	डॉ. विकास अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र बफौली जिला सरगुजा
81.	127	डॉ. राजेश कुमार सिंह	जिला चिकि. धमतरी जिला धमतरी
82.	129	डॉ. सुभाशीष मंडल	प्रा. स्वा. केन्द्र कापसी जिला कांकेर
83.	130	डॉ. संतोष कुमार सोनकर	प्रा. स्वा. केन्द्र लोहत्तर जिला कांकेर
84.	132	डॉ. सिद्ध नारायण गोले	सिविल अस्पताल,, मैनपाट, जिला सरगुजा
85.	133	डॉ. गजेन्द्र सिंह ठाकुर	सामु. स्वा. केन्द्र, कोन्टा जिला दंतेवाड़ा
86.	134	डॉ. शिरीष कुमार सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र, इडजेपाल जिला जगदलपुर
87.	137	डॉ. मनोज सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र, पखनार जिला जगदलपुर
88.	138	डॉ. संजय दास	प्रा. स्वा. केन्द्र बड़ेसाल्ही जिला कोरिया

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	139	डॉ. बंशी लाल तुलावी	प्रा. स्वा. केन्द्र बड़गांव जिला राजनांदगांव
90.	141	डॉ. मिवल किशोर भगत	प्रा. स्वा. केन्द्र धनोराहाट जिला जगदलपुर
91.	142	डॉ. अमन कुमार हुमने	सामु. स्वा. केन्द्र राजिम जिला रायपुर
92.	144	डॉ. मेजर हिम्मत सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र भैरमगढ़ जिला दंतेवाड़ा
93.	146	डॉ. सुरेन्द्र कुमार पैकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र छाल जिला रायगढ़
94.	147	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह राज	प्रा. स्वा. केंद्र पलनार जिला दन्तेवाड़ा
95.	148	डॉ. केहर लाल दीवान	प्रा. स्वा. केन्द्र कुदमुरा जिला कोरबा
96.	149	डॉ. कमलेश कुमार जैन	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर
97.	151	डॉ. नन्दलाल भूआर्य	सा. स्वा. केन्द्र चौकी जिला राजनांदगांव
98.	152	डॉ. प्रवीण अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र करसी जिला सरगुजा
99.	154	डॉ. अनिल कुमार	जिला चिकि. दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा
100.	157	डॉ. मनोज कुमार गोयल	प्रा. स्वा. केन्द्र ईरागांव जिला जगदलपुर
101.	158	डॉ. दुर्गेश गजेन्द्र	सामु. स्वा. केन्द्र उदयपुर जिला सरगुजा
102.	168	डॉ. ललित कुमार अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र पम्पापुर जिला सरगुजा
103.	169	डॉ. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सामु. स्वा. केन्द्र बलौदा, जिला जांजगीर
104.	170	डॉ. रक्षित जोगी	सामु. स्वा. केन्द्र गुरूर जिला दुर्ग
105.	171	डॉ. करताल राम तेकाम	सामु. स्वा. केन्द्र, लखनपुर जिला सरगुजा
106.	172	डॉ. रमेश कुमार ठाकुर	प्रा. स्वा. केन्द्र, सिहावा जिला धमतरी
107.	173	डॉ. अरविंद कुमार कोर्राम	सामु. स्वा. केन्द्र चारामा जिला कांकेर
108.	174	डॉ. कुमार नीतीश	प्रा. स्वा. केन्द्र जैबल जिला जगदलपुर
109.	176	डॉ. प्रसन्ना सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र तुमान जिला कोरबा
110.	178	डॉ. नन्द किशोर कश्यप	प्रा. स्वा. केन्द्र हरसौद जिला जांजगीर

(1)	(2)	(3)	(4)
111.	180	डॉ. सुनील कुमार जैन	प्रा. स्वा. केन्द्र, उमरवाही जिला राजनांदगांव.
112.	181	डॉ. कामसन एन्थोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र बनजा जिला सरगुजा
113.	182	डॉ. मनमीत कुमार थवाइत (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र खम्हरिया जिला बिलासपुर
114.	185	डॉ. खेमलाल आजाद	जिला चिकि. दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा.
115.	187	डॉ. पुष्पेन्द्र नेरेटी	प्रा. स्वा. केन्द्र धनेलीकन्हार जिला कांकेर
116.	188	डॉ. रितेश कुमार कंसल	जिला चिकि. दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा
117.	189	डॉ. जय प्रेकाश साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र बडपारा जिला कोरिया
118.	190	डॉ. जितेन्द्र मंधानी	प्रा. स्वा. केन्द्र राजा टेवरी जिला रायपुर
119.	191	डॉ. छन्नू लाल साहू	सामु. स्वा. केन्द्र नगरी जिला धमतरी
120.	192	डॉ. डी प्रशांत कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र औंधी जिला राजनांदगांव,
121.	194	डॉ. सुरेन्द्र सिंह मौपाची	जिला चिकि. कोरिया जिला कोरिया
122.	195	डॉ. अविनाश खरे	प्रा. स्वा. केन्द्र निपनिया जिला रायपुर
123.	196	डॉ. ओंकार प्रसाद कश्यप	प्रा. स्वा. केन्द्र कटघोरी जिला कोरिया
124.	200	डॉ. शम्स आलम सिद्दीकी	प्रा. स्वा. केन्द्र आमागोहम जिला बिलासपुर
125.	201	डॉ. सुनील कुमार लकड़ा	प्रा. स्वा. केन्द्र कुरोग जिला जशपुर
126.	202	डॉ. विकास बाम्बेश्वर	प्रा. स्वा. केन्द्र नगपुरा जिला दुर्ग
127.	203	डॉ. कृष्ण कुमार सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र कोंडागांव जिला जगदलपुर
128.	204	डॉ. विनय कुमार जायसवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र बेहारपुर जिला कोरिया
129.	205	डॉ. नरेन्द्र गोलन	प्रा. स्वा. केन्द्र चिरपानी जिला कवर्धा
130.	208	डॉ. सौभाग्य शरण सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
131.	209	डॉ. प्रवीरचन्द्र भंडारी	प्रा. स्वा. केन्द्र कोरर जिला-कांकेर
132.	211	डॉ. नवीन कुमार तिरकी	सामु. स्वा. केन्द्र मैनपुर जिला रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
133.	212	डॉ. नरेन्द्र कुमार बोकडे	सामु. स्वा. केन्द्र धमधा जिला दुर्ग
134.	213	डॉ. रोहित दुबे	प्रा. स्वा. केन्द्र बिलबहरा जिला कोरिया
135.	217	डॉ. अनित कुमार जायसवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र सलका जिला कोरिया
136.	218	डॉ. कमलेश कुमार अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र भरतपुर जिला कोरिया
137.	219	डॉ. आलोक विभा बाखला	सा. स्वा. केन्द्र मोहला जिला राजनांदगांव
138.	220	डॉ. मेजर तारिणी कुमार दास	प्रा. स्वा. केन्द्र माड़िसरई जिला कोरिया
139.	222	डॉ. राजेश कुमार तिग्गा	सामु. स्वा. केन्द्र देवभोग जिला रायपुर
140.	223	डॉ. राजेश लिखार	प्रा. स्वा. केन्द्र बचरापोड़ी जिला कोरिया
141.	224	डॉ. योगेश कुमार परमार	प्रा. स्वा. केन्द्र खेदमा जिला सरगुजा
142.	225	डॉ. मनोज कुमार गुप्ता	प्रा. स्वा. केन्द्र सरिया जिला रायगढ़
143.	226	डॉ. दुष्यंत खोसला	प्रा. स्वा. केन्द्र रामचन्द्रपुर जिला सरगुजा
144.	228	डॉ. पीताम्बर सिंह प्रधान	प्रा. स्वा. केन्द्र कोटतरा जिला कांकेर
145.	230	डॉ. विनोद कुमार लालवानी	प्रा. स्वा. केन्द्र कोड़गार जिला बिलासपुर
146.	233	डॉ. हरिकांत सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र गुण्डरदेही जिला दुर्ग
147.	235	डॉ. चन्द्रशेखर श्रीवास्तव	प्रा. स्वा. केन्द्र बोड़ार जिला कोरिया
148.	236	डॉ. चन्द्रेश साव	प्रा. स्वा. केन्द्र, टेंगनी जिला कोरिया
149.	237	डॉ. विजय कुमार कुर्रे	प्रा. स्वा. केन्द्र बारनवापारा जिला रायपुर
150.	239	डॉ. संतोष कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र सनावल रामानुजगंज जिला सरगुजा.
151.	240	डॉ. गिरीश कुमार अग्रवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र कोटगी जिला रायपुर
152.	242	डॉ. बृजकिशोर प्रसाद	सिविल अस्पताल भानपुरी जिला बस्तर
153.	243	डॉ. विजय कुमार लकड़ा	सामु. स्वा. केन्द्र घरघोड़ा जिला रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
154.	246	डॉ. देवीप्रसाद नामदेव	प्रा. स्वा. केन्द्र केरसई जिला जशपुर
155.	248	डॉ. गिरधर प्रसाद पटेल	प्रा. स्वा. केंद्र पटसेंन्द्री जिला महासमुंद
156.	249	डॉ. संतोष कुमार साहू	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा
157.	250	डॉ. एकेश चन्द्र बंजारे	प्रा. स्वा. केन्द्र किसनगढ़ जिला कवर्धा
158.	251	डॉ. दीपक कुमार मिरे	प्रा. स्वा. केन्द्र भगोरा जिला जशपुर
159.	254	डॉ. मीनल वासनिक	प्रा. स्वा. केन्द्र बागबहार जिला जशपुर
160.	256	डॉ. रूप सिंह आयाम	प्रा. स्वा. साल्हेघोरी जिला बिलासपुर
161.	257	डॉ. पुरूषोत्तम कुमार सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र परशुरामपुर जिला सरगुजा
162.	258	डॉ. अशोक राजपूत	प्रा. स्वा. केन्द्र सलका जिला सरगुजा
163.	259	डॉ. हरेन्द्र कुमार बघेल	प्रा. स्वा. केन्द्र घोटिया जिला जगदलपुर
164.	260	डॉ. अजित कुमार मिंज	सामु. स्वा. केन्द्र फरसाबहार जिला जशपुर
165.	261	डॉ. जय प्रकाश दीवान	प्रा. स्वा. केन्द्र छिछली जिला जशपुर
166.	263	डॉ. अमोल डेनियल	प्रा. स्वा. केन्द्र पंडरापाठ जिला जशपुर
167.	268	डॉ. अनुरंजन कुजूर	प्रा. स्वा. केन्द्र चम्पा जिला जशपुर
168.	269	डॉ. मनमोहन सिंह मार्को	सामु. स्वा. केन्द्र गौरेला-1 जिला बिलासपुर
169.	270	डॉ. मोहम्मद असलम आरीफ	सामु. स्वा. केन्द्र ओड़गी जिला सरगुजा
170.	271	डॉ. राजकुमार मरकाम	सिविल अस्पताल भानपुरी जिला बस्तर
171.	272	डॉ. गुलाब सिंह काशी	प्रा. स्वा. केन्द्र चिन्तलनार जिला दंतेवाड़ा
172.	274	डॉ. स्वामी देव भूपेन्द्र	प्रा. स्वा. केन्द्र भिलाई-3 जिला दुर्ग
173.	275	डॉ. सुफॅल कुमार गजभिये	प्रा. स्वा. केन्द्र पैकू जिला जशपुर
174.	276	डॉ. पवन कुमार धृतलहरे	प्रा. स्वा. केन्द्र आरा जिला जशपुर
175.	277	डॉ. कपिल देव पैंकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र आस्ता जिला जशपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
176.	279	डॉ. विजय फूलमाली	प्रा. स्वा. केन्द्र किलकिला जिला जशपुर
177.	280	डॉ. हेमंत कुमार तंवर	सामु. स्वा. केन्द्र पेण्ड्रा जिला बिलासपुर
178.	281	डॉ. वासुदेव कुमेटी	जिला चिकित्सालय कांकेर जिला कांकेर
179.	282	डॉ. अवधेश कुमार सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र डिपाडीह जिला सरगुजा
180.	283	डॉ. घनश्याम दीवान्	प्रा. स्वा. केन्द्र जटगा जिला कोरबा
181.	284	डॉ. मनोज कुमार बर्मन	प्रा. स्वा. केन्द्र पीपरछेड़ी जिला रायपुर
182.	285	डॉ. विरेन्द्र कुमार सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र छुरी जिला कोरबा
183.	286	डॉ. अजय कुमार मिरी	प्रा. स्वा. केंद्र धरमपुर जिला सरगुजा
184.	287	डॉ. रनसाय सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र केपतईकोला जिला सरगुजा
185.	289	डॉ. शशिकांत स्वर्णकार	प्रा. स्वा. केन्द्र सामरी जिला सरगुजा
186.	290	डॉ. दीपक सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र अजगरबहार जिला कोरबा
187.	292	डॉ. नन्दराज कंवर	प्रा. स्वा. केन्द्र टेंगनबाड़ा कोटा जिला बिलासपुर
188.	293	डॉ. राजेन्द्र कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र भैसमा जिला कोरबा
189.	294	डॉ. उत्पल कुमार चन्द्राकर	सामु. स्वा. केन्द्र खरौद जिला जांजगीर
190.	296	डॉ. हुलेश मंडले	सामु. स्वा. केन्द्र दरभा जिला जगदलपुर
191.	297	डॉ. हरीश कुमार चौहान्	प्रा. स्वा. केन्द्र सलखन जिला जांजगीर
192.	298	डॉ. विजय प्रताप सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र झाखरपारा जिला रायपुर
193.	301	डॉ. सुरेश कुमार ठाकुर	प्रा. स्वा. केन्द्र बयानार जिला जगदलपुर
194.	302	डॉ. भेषज कुमार रामटेके	प्राथ. स्वा. केन्द्र, पीढ़ापाल जिला कांकेर
195.	303	डॉ. मोहन सिंह श्याम	प्रा. स्वा. केन्द्र महाराजगंज जिला सरगुजा
196.	304	डॉ. विजय कुमार कौशिक	प्रा. स्वा. केंद्र सरगांव जिला बिलासपुर
197.	306	डॉ. चन्द्रशेखर ध्रुव	प्रा. स्वा. केन्द्र सधवानी जिला बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
198.	307	डॉ. बुधराम सिंह	जिला चिकित्सालय सरगुजा जिला सरगुजा
199.	308	डॉ. जी. आर. रावटे	सामु. स्वा. केन्द्र गुरूर जिला दुर्ग
200.	311	डॉ. रीतेश टंडन	प्रा. स्वा. केन्द्र लेमरू जिला कोरबा
201.	312	डॉ. नवीन पहारी	प्रा. स्वा. केन्द्र पदमपुर मुंगेली जिला बिलासपुर
202.	313	डॉ. अश्विनी कुमार भोई	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी, जिला जगदलपुर.
203.	314	डॉ. विरेन्द्र कुमार कुजूर	प्रा. स्वा. केन्द्र कुरेनार, जिला कांकेर
204.	315	डॉ. भुपेन्द्र कुमार मरकाम	सामु. स्वा. केन्द्र बड़ेकिलेपाल जिला बस्तर
205.	318	डॉ. बसंत कुमार माहेश्वरी	प्रा. स्वा. केन्द्र कापन जिला जांजगीर
206.	320	डॉ. संजीव कुमार मेश्राम	प्रा. स्वा. केन्द्र सुरेली जिला कांकेर
207.	321	डॉ. टिकुराम सिन्हा	प्राथ. स्वा. केन्द्र भांटागांव जिला रायपुर
208.	322	डॉ. पंकज साहू	सामु. स्वा. केंद्र सरायपाली जिला महासमुंद
209.	323	डॉ. राजेश सूर्यवंशी	प्रा. स्वा. केन्द्र केरेगांव जिला धमतरी
210.	324	डॉ. सतीश कुमार वाशनिक	सामु. स्वा. केन्द्र निकुम जिला दुर्ग
211.	325	डॉ. कृष्णकांत साहू	जिला चिकि. दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा
212.	327	डॉ. श्रद्धानंद कुजुर	प्रा. स्वा. केन्द्र धरसेंदी जिला सरगुजा
213.	328	डॉ. मुकेश कुमार सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र कोलेंग जिला बस्तर
214.	331	डॉ. रजनीकांत साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र बांदे (मोबाईल यूनिट) जिला कांकेर.
215.	334	डॉ. अशोक कुमार शंभाकर	सामु. स्वा. केन्द्र कोईलीबेड़ा जिला कांकेर
216.	336	डॉ. जान मसीह	सामु. स्वा. केन्द्र सिमगा जिला रायपुर
217.	338	डॉ. संजय कुमार बघेल	जिला चिकि. दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा
218.	339	डॉ. रविशंकर सिंह	सिविल अस्पताल मेनपाट जिला सरगुजा

(1)	(2)	(3)	(4)
219.	341	डॉ. संतोष सिंह पटेल	प्रा. स्वा. केन्द्र आमासिवनी जिला रायपुर
220.	342	डॉ. हेमंत कुमार नाग	प्रा. स्वा. केन्द्र दुगली जिला धमतरी
221.	343	डॉ. जयंत कुमार (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र बडगांव जिला कांकेर
222.	344	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई	प्रा. स्वा. केन्द्र आमांडांड जिला बिलासपुर
223.	346	डॉ. प्रशांत कुमार सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र अमोडा जिला कांकेर
224.	348	डॉ. राजेश कुमार राज	प्रा. स्वा. केन्द्र, जूनापारा जिला बिलासपुर
225.	350	डॉ. मुनव्वर अहमद	प्रा. स्वा. केन्द्र गोलापल्ली जिला दंतेवाड़ा
226.	351	डॉ. अनुरूप कुमार साहू	सामु. स्वा. केन्द्र अन्तागढ़ जिला कांकेर
227.	353	डॉ. संजय कुमार सिंह	सामु. स्वा. केन्द्र वाड्रफनगर जिला सरगुजा
228.	354	डॉ. इमरान मोहम्मद खान	प्रा. स्वा. केन्द्र तिरिया जिला बस्तर
229.	355	डॉ. सतीश कुमार रावटे	सामु. स्वा. केन्द्र डौंडीलोहारा जिला दुर्ग
230.	358	डॉ. विपिन चन्द्राकर	सामु. स्वा. केन्द्र साजा जिला दुर्ग
231.	360	डॉ. शिवनारायण साय पैंकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र ढोढागांव जिला सरगुजा
232.	363	डॉ. विवेक प्रताप सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र रामपुर सी. एच. सी. करतला जिला कोरबा.
233.	364	डॉ. जितेन्द्र कुमार कुंजाम	सामु. स्वा. केन्द्र बेरला जिला दुर्ग
234.	365	डॉ. शंभुनाथ भोई	प्रा. स्वा. केन्द्र कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा
235.	366	डॉ. लक्ष्मणेश्वर कुमार सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र पोरथा जिला जांजगीर
236.	367	डॉ. अनिल कुमार जायसवाल (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र तोरला जिला रायपुर
237.	368	डॉ. किशोर कुमार गंधर्व (प्रावधिक)	सामु. स्वा. केन्द्र बिलाईगढ़ जिला रायपुर
238.	371	डॉ. चन्द्रशेखर	प्रा. स्वा. केन्द्र जयरामनगर जिला बिलासपुर
239.	373	डॉ. संदीप कुमार	जिला चिकित्सालय जांजगीर जिला जांजगीर

(1)	(2)	(3)	(4)
240.	374	डॉ. जय कुमार चुनारकर	प्रा. स्वा. केन्द्र कोडेकुरसे जिला कांकेर
241.	375	डॉ. धनसिंह पैकरा	प्रा. स्वा. केन्द्र लिबरा विजयनगर जिला रायगढ़
242.	377	डॉ. विक्रम सिंह राठौर	प्रा. स्वा. केन्द्र खम्हांर जिला रायगढ़
243.	379	डॉ. अखिलेश कुमार ध्रुव	प्रा. स्वा. केन्द्र दमाकसा जिला कांकेर
244.	380	डॉ. यशवंत ध्रुव	सामु. स्वा. केन्द्र नरहरपुर जिला कांकेर
245.	382	डॉ. रामनारायण दास	प्रा. स्वा. केन्द्र बरोली, सामु. स्वा. केन्द्र बसना जिला महासमुन्द.
246.	383	डॉ. नरेश चन्द्र	सिविल अस्पताल पखांजूर जिला कांकेर
247.	385	डॉ. विनोद नायक	सामु. स्वा. केन्द्र लैलूंगा जिला रायगढ़
248.	388	डॉ. संजीव कुमार तिग्गा	प्रा. स्वा. केन्द्र बरकेला जिला सरगुजा
249.	389	डॉ. विद्या भूषण टोप्पो (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोरपानी जिला सरगुजा
250.	391	डॉ. रविशंकर गोआर्य	प्रा. स्वा. केन्द्र कापानार जिला जगदलपुर
251.	392	डॉ. थलेश्वर सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र श्यांग जिला कोरबा
252.	395	डॉ. रामखिलावन राज	जिला चिकित्सालय कवर्धा जिला कवर्धा
253.	397	डॉ. अनुरंजन टोप्पो	सामु. स्वा. केन्द्र मनोरा जिला जशपुर
254.	398	डॉ. श्याम शंकर राज	प्रा. स्वा. केन्द्र सोतनार, सा. स्वा. केन्द्र दरभा जिला जगदलपुर.
255.	399	डॉ. राधेश्याम भंवर	सामु. स्वा. केन्द्र उसूर जिला दंतेवाड़ा
256.	400	डॉ. रामगोपाल धृतलहरे	सामु. स्वा. केन्द्र मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया
257.	401	डॉ. संतोष कुमार जायसवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र रामगढ़ जिला कोरिया
258.	403	डॉ. सतीश कुमार	प्रा. स्वा. केन्द्र पिपरिया जिला कवर्धा
259.	405	डॉ. लोकेश कुमार देव	सामु. स्वा. केन्द्र बीजापुर जिला दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
260.	406	डॉ. दिनेश कुमार पटेल	प्रा. स्वा. केन्द्र उरबा जिला रायगढ़
261.	407	डॉ. तरूण कुमार टोन्डर	जिला चिकित्सालय रायगढ़ जिला रायगढ़
262.	408	डॉ. गजेन्द्र सिंह कौशल	जिला चिकित्सालय कवर्धा जिला कवर्धा
263.	409	डॉ. कमल कुमार डाहिरे	सामु. स्वा. केन्द्र पामगढ़ जिला जांजगीर
264.	410	डॉ. संजय कुमार खरसन	सामु. स्वा. केन्द्र सहसपुर लोहारा, जिला कवर्धा
265.	411	डॉ. अश्विनी कुमार वर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र गोटाटोला जिला राजनांदगांव
266.	412	डॉ. मिथलेश कुमार पारकर (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र छिरहा जिला दुर्ग
267.	414	डॉ. हरनाथ वर्मा	प्रा. स्वा. केन्द्र बड़ेडोंगर जिला बस्तर
268.	415	डॉ. यतीन्द्र कुमार देवांगन	सामु. स्वा. केन्द्र तोकापाल जिला जगदलपुर
269.	417	डॉ. दुर्गा शंकर पटेल	सामु. स्वा. केन्द्र चपले जिला रायगढ़
270.	419	डॉ. मोहम्मद इकलाख	प्रा. स्वा. केन्द्र डोंगरीपाली जिला रायगढ़
271.	420	डॉ. अलख राम वर्मा	सामु. स्वा. केन्द्र अन्तागढ़ जिला कांकेर
272.	422	डॉ. अजय तावड़कर	प्रा. स्वा. केन्द्र चकरभाटा जिला बिलासपुर
273.	423	डॉ. राकेश कुमार सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र सिर्री जिला धमतरी
274.	424	डॉ. महेश कुमार रावतराय	प्रा. स्वा. केन्द्र तिरथा जिला जगदलपुर
275.	425	डॉ. सुनील कुमार रात्रे	जिला चिकि. रायगढ़ जिला रायगढ़
276.	426	डॉ. दीपक सिंह	सिविल अस्पताल खरसिया, जिला रायगढ़*
277.	427	डॉ. शशिकांत साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र आवापल्ली जिला दंतेवाड़ा
278.	428	डॉ. अनिल कुमार हरिप्रिया	प्रा. स्वा. केन्द्र नगरनार जिला वस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
279.	429	डॉ. हीरालाल सिंह	प्रा. स्वा. केन्द्र बरतीकला जिला सरगुजा
280.	430.	डॉ. विरेन्द्र कुमार कुर्रे	सामु. स्वा. केन्द्र बलौदाबाजार जिला रायपुर
281.	431	डॉ. सुरेन्द्र कुमार साहू	सा. स्वा. केन्द्र पाटन जिला दुर्ग
282.	432	डॉ. छेदुलाल रात्रे	प्रा. स्वा. केन्द्र लाफा जिला कोरबा
283.	433	डॉ. त्रिभुवन कुमार साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र टुण्ड्री जिला जांजगीर
284.	434	डॉ. प्रवीण कुमार जांगड़े	प्रा. स्वा. केन्द्र भटगांव जिला रायपुर
285.	435	डॉ. लक्ष्मी शंकर प्रसाद	प्रा. स्वा. केन्द्र सांकरा जिला महासमुन्द
286.	436	डॉ. कमल कुमार सोनी	प्रा. स्वा. केन्द्र केवची जिला बिलासपुर
287.	437	डॉ. प्रदीप कुमार चन्द्राकर	प्रा. स्वा. केन्द्र मोपर जिला रायपुर
288.	438	डॉ. सुरेश कुमार खुंटे	प्रा. स्वा. केन्द्र, सरसींवा जिला रायपुर
289.	439	डॉ. दिलीप कुमार सोनी (प्रावधिक)	प्रा. स्वा. केन्द्र परतापुर जिला कांकेर
290.	440	डॉ. विजय कुमार चन्देल	जिला अस्पताल कवर्धा जिला कवर्धा
291.	441	डॉ. चन्द्रेश चन्द्राकर	जिला चिकित्सालय कांकेर जिला कांकेर
292.	442	डॉ. कमल कांत आडिले	जिला चिकित्सालय रायगढ़
293.	443	डॉ. प्रमोद कुमार जायसवाल	प्रा. स्वा. केन्द्र लांजित जिला सरगुजा
294.	444	डॉ. बृज किशोर वैष्णव	प्रा. स्वा. केन्द्र बोडसरा जिला बिलासपुर
295.	445	डॉ. जगदीश प्रसाद सोनी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंटा जिला दंतेवाड़ा
296.	447	डॉ. अनिमेंश आडे	प्रा. स्वा. केन्द्र बासागुड़ा जिला दन्तेवाड़ा
297.	448	डॉ. मोहम्मद अनवर अन्सारी	प्रा. स्वा. केन्द्र खरवानी जिला-कोरबा

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1491/भू-अर्जन/06/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	धनगांव प.ह.नं. 63	3.009	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1494/भू-अर्जन/06/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	चारभांठा प.ह.नं. 62	2.758	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1495/भू-अर्जन/06/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	हालाडुला प.ह.नं. 63	5.221	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1496/भू-अर्जन/06/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सांगली प.ह.नं. 09	2.422	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के सांगली लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1497/भू-अर्जन/06/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गोटाटोला प.ह.नं. 62	1.599	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक 1498/भू-अर्जन/06/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	गुण्डरदेही प.ह.नं. 09	1.379	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण (अनु-पूरक) के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 फरवरी 2006

रा. प्र. क्र. 2/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	लोधिमा	26.370	कार्यपालन यंत्री (सिविल) सर्वे एवं अनु. लघु. सूक्ष्म संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.).	ताप विद्युत परियोजना के पॉवर हाऊस निर्माण बाबत.
		मसिरा	246.590		
			272.960		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 फरवरी 2006

क्रमांक 387/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	गोपालपुर	4.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कोरबा.	गोपालपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 17/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरगांव	3.498	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की पतरकोनी शाखा नहर, स्केप चैनल, देवरगांव उपशाखा नहर, गौरेला शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 8/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पकरिया	1.307	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय वेस्ट वियर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक 7/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	परसदा	2.73	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक 8/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	लिगियाडीह	0.78	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक 9/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	जूना बिलासपुर	1.01	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 15/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
632/3, 633/1	0.032
634/1	0.036
647, 652	0.089
653/1 ख	0.109
675/1	0.138
676	0.024
653/2	0.061
675/2	0.109
669/3	0.223
681/1 ट	0.109
681/1 ग	0.194
682, 683	0.040
687/3	0.020
687/4	0.032
727/1 छ	0.121
596/1	0.036
524/5	0.057

	(1)	(2)
	494	0.057
योग	18	1.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय योजना के अमरैयाटोला एवं गौरेला शाखा नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 24 नवम्बर 2005

क्रमांक 6712/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-आंवराभाटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	178	0.02
	180	0.02
	182/1	0.07
	182/3	0.06
	182/2	0.03
योग		0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जी. ए. डी. कालोनी हेतु पहुंचमार्ग निर्माण, आंवराभाटा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 फरवरी 2006

क्रमांक 175/भू-अर्जन/07/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गीदम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-184228 वर्गफुट

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
860	278
914/1	280
562/1	266
861/1	100
882/3	371
892	416
914/2	92
711	347

(1)	(2)	(1)	(2)
912/5	308	789/4	175
789	112	916/2	462
928/4	5554	562/2	266
844/2	140	$891/\frac{1}{2}$	75
789	175	912/4	230
786	115	923	100
862/2, 863/4	70	861/2, 862/2	105
735	231	843/1	300
928/2, 928/3	2831	695	1201
792/1	231	839	393
789	393	860	1040
$891/\frac{1}{3}$	62	861/2	224
927/3	8700	913	330
861/2	185	785	115
782	140	902/1	740
901	531	361	6316
783	115	932/1	10266
710/1	300	364	2117
710/2	300	356	5445
881/4	162	920/1	360
893	277	912/7	160
787	115	708	740
912/2	119	$560/\frac{1}{2}$	139
789	112	861/2, 862/1, 862/2, 862/1	140
927/5	50	883	462
784	115	732	416
$861/\frac{1}{2}$ $861/\frac{1}{3}$	175	733	440
328	6752	912/3	230
881/1	150	922/1	26100
922/2	660	780	370
789/5	175	$560/\frac{1}{2}$	878
737	624	895	531
891/2	462	838	600
883/920	140	842	740
924/2	2760	867	832
844/3	105	$736/\frac{1}{2}$	112
916/1	1086	$736/\frac{1}{2}$	190
919/1	970	864/1	786
882/2	182	912/1	105
792/2	178	934	7720
781	370	362	1066
912/6	112	353	9570

(1)	(2)
349/2	33759
355/2	26572
योग	184288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 14 फरवरी 2006

क्रमांक 630/अ-82/06/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कारली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2914	0.81
योग	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- एस.ए.एफ. बटालियन के लिये आवास एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक-98 अ-82/1985-86.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सलका, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.726 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
264/1	0.049
257/1	0.004
258/4	0.154
266/1	0.113
263	0.057
257/3	0.004
264/3	0.008
257/2	0.008
266/2	0.040
264/2	0.016
262	0.040
260	0.145
301	0.008
299	0.032
309	0.024
310	0.004

	(1)	(2)
	256	0.020
योग	17	0.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- लटोरी चन्द्रमेढ़ा मार्ग निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	16	0.223
	17	0.049
	19/1	0.053
	22	0.032
	23	0.065
	24	0.049
	25	0.049
	26	0.049
योग	8	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोतासुरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेण्डेण्ट परीक्षक मण्डल जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2006

क्रमांक मुनिवा/बा. अ. परीक्षा/485/2006.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर अटेन्डेन्ट्स नियम, 1958 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स को प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 20, 21 एवं 22 अप्रैल, 2006 को मेसर्स ए. सी. सी. लिमिटेड, जामुल सीमेंट वर्क्स, जामुल, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र "अ") इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4 × 10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 (रुपये दस मात्र) के डाक टिकट लगे हो, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र "अ") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र "अ" पर संपूर्ण विवरण के साथ भाग- III में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी विज्ञप्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षक मण्डल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर 492001 में दिनांक 20 मार्च, 2006 तक या उसके पूर्व पहुंचने चाहिये.

परीक्षा का समय :

प्रांत: 8.00 बजे से 12.00 बजे तक

दोपहर 2.00 बजे से 06.00 बजे तक

अविनाश भटनागर
सचिव,
बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षक मण्डल
छत्तीसगढ़ रायपुर.